न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एस.सी/एस.टी.एक्ट),सन्त कबीर नगर।

(CNR NO–UPSK01–002507–2026)

जमानत प्रार्थना–पत्र सं०–977/2026

1 मंजू देवी पत्नी राजमन

2.सीमा देवी पत्नी चन्द्रभूषण

निवासी ग्राम– गरथबलिया, थाना– धनघटा, जनपद– संत कबीर नगर।

..... आवेदिकागण/अभियुक्तागण

परिवाद संख्या–35/2018
धारा–323, 504, 506 IPC
एवं 3 (1) (द), 3 (1) (ध) Sc/St
थाना–धनघटा, जनपद–संत कबीर नगर।

दिनांक–10.07 .2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र थाना–धनघटा, जनपद– सत कबीर नगर के परिवाद संख्या– 35 /2018, धारा– 323, 504, 506 भा० द० सं० एवं 3 (1) (द), 3 (1) (ध) एस० सी० /एस०टी० एक्ट के अन्तर्गत आवेदिकागण/ अभियुक्तागण **मन्जू देवी व सीमा देवी** की ओर से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

2– जमानत प्रार्थना–पत्र के माध्यम से अभियुक्तागण द्वारा कहा गया है कि प्रार्थिनीगण बेगुनाह है। रंजिशन झूठे मुकदमे में फँसा दिये गये हैं। प्रार्थिनीगण ने ना ही किसी को मारा–पीटा है ना ही गाली दिया है और ना ही जान से मारने की धमकी दी है। प्रार्थिनीगण ने किसी को भी जाति सूचक गाली नहीं दी है, जबकि हम प्रार्थिनीगण स्वयं जाति से अनुसूचित जाति चमार हैं। प्रार्थिनीगण पर आरोपित अपराध जमानतीय हैं तथा प्रार्थिनीगण परिवारदार पत्नी है तथा अपनी जमानत देने को तैयार हैं। उक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर अभियुक्तागण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

3– अभियोजन परिवाद कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक–04.01.2017 को समय करीब आठ बजे प्रार्थिनी अपने दरवाजे पर बैठकर धूप ले रही थी, अचानक तखते को भागवत, बालेन्द्र, नागेन्द्र व उसके अलावा अन्य राजमन, मन्जू देवी व सीमा देवी एकजुट होकर दरवाजे पर आये और गाली गुप्ता व जान–माल की धमकी देने लगे तथा पुरानी रंजिश को लेकर परिवादिनी को अभियुक्त भागवत व सवरू व बालेन्द्र तथा पानी के बहाव को लेकर राजमन, मन्जू देवी व सीमा देवी एकजुट होकर परिवादिनी को लात, मुक्का से मारने लगे तथा परिवादिनी के गले से सोने का मंगलसूत्र छीन लिये व साड़ी की छोड़ से लगभग 1500 रुपया छीन लिये।

4– वादिनी को नोटिस प्राप्त है लेकिन वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

5– वादिनी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा भी जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तागण द्वारा वादिनी मुकमदा को

Digitally signed by CHANDRA MOHAN SRIVASTAVA
Date: 2026.07.10 16:33:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मारने–पीटने,गाली–गुप्ता देने व जान से मारने की धमकी देते हुए जाति सूचक शब्दों से अपमानित किये। उक्त तकों के आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

6– आवेदिकागण/अभियुक्तागण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजन अधिकारी को सुना तथा सुसंगत पुलिस प्रपत्रों व पुलिस द्वारा प्रेषित आख्या का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मामला परिवाद पर आधारित है। आवेदिकागण/अभियुक्तागण पर आरोपित अपराध, एस०सी०/एस०टी० एक्ट को छोड़कर अन्य सभी आरोपित धाराएँ मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्तागण की पूर्व दोष–सिद्धि का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अभियुक्तागण न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम जमानत आदेश दिनांक–18.06.2026 के अनुपालन में आत्मसमर्पण कर न्यायालय में उपस्थित है। अपराध की श्रेणी सात वर्ष से कम दण्ड की भी है। प्रस्तुत प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में मामलें के गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बगैर, अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

7– आवेदिकागण/अभियुक्तागण **मन्जू देवी व सीमा देवी** का जमानत प्रार्थना–पत्र **स्वीकार** किया जाता है। अभियुक्तागण **मन्जू देवी व सीमा देवी** द्वारा**–25–25 हजार रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही धनराशि के **दो–दो** प्रतिभू प्रस्तुत करने तथा निम्नलिखित शर्तों के संबंध में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर अभियुक्तागण को जमानत पर रिहा किया जाये कि–

1. अभियुक्तागण विचारण में सहयोग करेंगी।
2. अभियुक्तागण साक्षियों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगी।
3. विचारण के दौरान प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेंगी।

दिनांक–10.07.2026

(चन्द्रमोहन श्रीवास्तव)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)
सन्त कबीर नगर।
जे०ओ०कोड–UP01540